राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक F 26(4)( )/Trg..-PMMVY/ICDS/2017/ 200434-770 दिनांक : 22/11/18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त

विषयः– प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु सामान्य में दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा कि आपको विदित है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 01.01.2017 से प्रदेश में "प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना" (PMMVY) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि प्रथम बच्चे के प्रसव से पूर्व एवं पश्चात् उन्हें पर्याप्त आराम मिल सकें तथा नगद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार हो।

योजना के संबंध में समय–समय पर आपको निर्देशित किया जाता रहा है तथा विभागीय पत्रांक 193060–92 दिनांक 08.12.2017 के द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देशों में स्पष्ट अंकन किया गया है कि :–

- योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त, द्वितीय किश्त व तृतीय किश्त प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपने निवास क्षेत्र के ग्राम/शहर(वार्ड) में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र पर क्रमशः प्रपत्र–1 ए, 1बी व 1 सी में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन के साथ समस्त प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करने होगे तथा स्वयं के एवं पति के विधिवत हस्ताक्षर कराने होगे तथा संबंधी नियत मापदण्ड एवं शर्तो को पूर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- पात्र लाभार्थी द्वारा प्रपत्र–01 में प्रस्तुत सम्पूर्ण वांछित जानकारी एवं तत्संबंधी अपेक्षित संलग्नप दस्तावेज के सत्यापन/परीक्षण में पूर्ण पाये जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर योजना के अन्तर्गत लाभार्थी का पंजीयन करेंगी। पंजीयन उपरान्त 01 सप्ताह के भीतर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संबंधित महिला पर्यवेक्षक को प्रपत्र–01 में प्रस्तुत सम्पूर्ण वांछित जानकारी एवं तत्संबंधी अपेक्षित संलग्न दस्तावेज उपलब्ध कराएंगी।
- संबंधित महिला पर्यवेक्षक द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का प्रपत्र–1 ए में उल्लेखित विवरण एवं संलग्न दस्तावेजो के अनुरूप विधिवत् सत्यापन/परीक्षण कियाजायेगा। तत्पश्चात् प्रत्येक प्रकरण को योजना में ऑनलाईन पंजीयन तथा भुगतान संबंधी कार्यवाही हेतु सबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में प्रति सप्ताह प्रस्तुत किया जायेगा।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्तर पर पर्यवेक्षक से प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का (प्रपत्र–1 ए अनुरूप) योजना अन्तर्गत ऑनलाईन पंजीयन तथा हितग्राहियों को उनके बैंक/पोस्ट ऑफिस के खाते में मातृत्व लाभ की राशि भुगतान के लिए विकसित सॉफटवेयर में प्रविष्टि की जावेगी।
- संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का प्रपत्र–1 सी में उल्लेखित विवरण एवं संलग्न दस्तावेजों के अनुरूप विधिवत सत्यापन/परीक्षण किया जायेगा। तत्पश्चात प्रत्येक प्रकरण को योजना में ऑनलाईन दर्ज करने तथा भुगतान संबंधित कार्यवाही हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में प्रति सप्ताह प्रस्तुत किया जायेगा।
- संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा आंनगबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक प्रकरण (प्रपत्र–"ए"/प्रपत्र–"बी"/प्रपत्र–"सी') में उल्लेखित विवरण एवं संलग्न दस्तावेजों के अनुरूप विधिवत् सत्यापन/परीक्षण किया जायेगा।

- तत्पश्चात् प्रत्येक प्रकरण को योजना में ऑनलाईन दर्ज करने तथा भुगतान संबंधी कार्यवाही हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में प्रति सप्ताह प्रस्तुत किया जायेगा।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्तर पर पर्यवेक्षक से प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का (प्रपत्र–1 "सी" अनुरूप) योजना अन्तर्गत ऑनलाईन पंजीयन तथा संबंधित हितग्राही को उनके बैंक/पोस्ट ऑसिफ के खाते में मातृत्व लाभ की राशि भुगतान के लिये विकसित सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की जावेगी।
- योजना के अन्तर्गत मातृत्व लाभ की राशि प्रदान करने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त के लिये स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी होंगे। इस हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक से प्राप्त प्रत्येक प्रपत्र (प्रपत्र–"ए"/प्रपत्र–"बी" /प्रपत्र–"सी') को परियोजना कार्यालय स्तर पर सत्यापित करने के पश्चात् योजना अन्तर्गत ऑनलाईन पंजीयन तथा संबंधित हितग्राही को उनके बैंक/पोस्ट ऑफिस के खाते में मातृत्व लाभ की राशि भुगतान के लिये विकसित सॉफ्टवेयर WWW.PMMVY-CAS.GOV में दर्ज किया जाएगा।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यालय में प्राप्त प्रत्येक प्रपत्र (प्रपत्र–"ए"/प्रपत्र–"बी"/प्रपत्र–"सी') में दर्ज जानकारी एवं आंकडे का विवरण PMMVY-CAS सॉफ्टवेयर में दर्ज डेटा की शुद्वता की पुष्टि के बाद जनरेट हुई सूची अनुरूप प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त से संबंधित मातृत्व लाभ के प्रकरणों की स्वीकृति जारी करेगा तथा इस प्रकार प्रथम/द्वितीय/तृतय किश्त से संबंधित मातृत्व लाभ के प्रकरणों की स्वीकृत सूची को योजना के लिये विकसित एमआईएस के माध्यम से राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) को प्रेषित करेगा।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय द्वारा योजना अन्तर्गत मातृत्व लाभ के प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त की स्वीकृति के संबंध में समस्त कार्यवाहियां इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त से संबंधित प्रपत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर इन प्रकरणों की स्वीकृति दी जा सकें।

इसी क्रम में देखने में आया है कि कई बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा PMMVY-CAS सॉफ्टवेयर में अनुमोदन स्वयं के स्तर से संबधित दस्तावेज से मिलान कर सत्यापन न किया जाकर ऑपरेटर के द्वारा ही किया जा रहा है, जिससे गलत भुगतान होने की पूरी संभावना हैं। अतः इस संबंध में समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जब भी PMMVY-CAS सॉफ्टवेयर में लाभार्थियों की किश्तों का अनुमोदन किया जाये तो संबंधित सीडीपीओं संबंधित दस्तावेज से लाभार्थी का नाम, आधार नम्बर, बैक नम्बर आदि का मिलान/जांच कर अनुमोदन करे ताकि किसी लाभार्थी का गलत भुगतान न हो। यदि उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही व विभागीय दिशा–निर्देशों के विपरीत पाया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित सीडीपीओं की होगी।

साथ ही योजना हेतु आपको अलग–अलग पीएमएमवीवाई मद में बजट आवंटन किया गया है। अतः इस वित्तीय वर्ष 2018–19 में अप्रेल–जून, 2018 व जुलाई–सितम्बर, 2018 तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक F 26(4)( )/Trg..-PMMVY/ICDS/2017/ 20677-772 दिनांक : 22-11-18

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव निदेशक, आईसीडीएस, राजस्थान जयपुर
2. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (आई)/
राज्य प्रभारी अधिकारी (PMMVY)